



मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने एग्जटि पोल की आलोचना की

चर्चा में क्यों?

भारत के **मुख्य नरिवाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC)** ने **एग्जटि पोल** की वशिवसनीयता और मतगणना के रुझानों के समय से पहले प्रदर्शति होने पर चर्चा जताई है। उन्होंने हाल के **हरियाणा चुनावों** का उदाहरण देते हुए कहा कि एग्जटि पोल ने अवास्तविक उम्मीदें उत्पन्न की और राजनीतिक चर्चाओं को जनम दिया।

मुख्य बदि

- **एग्जटि पोल द्वारा वक्तितः**
 - एग्जटि पोल प्रायः अवास्तविक उम्मीदें स्थापति करते हैं, जिसके कारण अनुमानति और वास्तविक चुनाव परिणामों के बीच काफी अंतर हो जाता है।
 - हाल ही में हरियाणा वधानसभा चुनाव में अधिकांश **एग्जटि पोल में कॉन्ग्रेस की बड़ी जीत** की भवषियवाणी की गई थी, जिसमें 50 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वास्तविक नतीजे इन उम्मीदों से मेल नहीं खाते।
 - इससे जनता और राजनीतिक दलों में नरिशा उत्पन्न हो गई तथा कॉन्ग्रेस ने एग्जटि पोल की सटीकता पर चर्चा जताई।
- **प्रारंभिक गणना प्रवृत्तियों का समय से पहले प्रदर्शनः**
 - कुछ समाचार चैनलों ने आधिकारिक **मतगणना** शुरू होने से पहले शुरुआती रुझान प्रसारति कथि, जिससे गलत सूचना और अटकलों को बढ़ावा मिला।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने इस प्रथा की "बकवास" कहकर आलोचना की तथा कहा कि गणना से पहले दखिए गए प्रारंभिक रुझान का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तथा इससे जनता गुमराह हो सकती है।
 - उन्होंने बताया कि वास्तविक मतगणना प्रक्रिया **सुबह 8:30 बजे के बाद** शुरू होती है तथा सत्यापति परिणाम **सुबह 9:30 बजे के बाद नरिवाचन आयोग** की वेबसाइट पर पोस्ट कथि जाते हैं।
- **स्व-नयिमन का आह्वानः**
 - यद्यपि नरिवाचन आयोग **सीधे तौर पर एग्जटि पोल को नयित्तरति नहीं** करता है, फरि भी मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने आग्रह कथि कि **मीडिया और मतदान की नगिरानी करने वाली नयिमक संस्थाओं** को एग्जटि पोल प्रथाओं में सुधार लाने के लयि कड़ा रुख अपनाना चाहयि।
 - वशिवसनीयता बनाए रखने के लयि नमूना आकार, मतदान स्थान और डेटा संग्रह वधियि जैसे कारकों सहति एग्जटि पोल पद्धति में पारदर्शति आवश्यक है।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मीडिया और मतदान एजेंसयिों को नयित्तरति करने वाली संस्थाओं को चुनावों के दौरान **गलत सूचना** से बचने के लयि बेहतर कार्यप्रणाली लागू करनी चाहयि।
- **एग्जटि पोल पद्धतिके मुद्देः**
 - एग्जटि पोल, मतदान केंद्र से बाहर नकिलते समय मतदाताओं के साथ कथि गए साक्षात्कारों पर आधारति होते हैं, लेकिन उनकी **सटीकता एकतरति आँकड़ों की गुणवत्ता और नमूने की प्रतनिधिति** पर नरिभर करती है।
 - एग्जटि पोल के पीछे की कार्यप्रणाली, जिसमें **नमूने का आकार और प्रतनिधिति (जाति, धर्म और भूगोल जैसे** वभिन्न मतदाता प्रोफाइल को प्रतबिबिति करना) शामिल है, पोल की सटीकता नरिधारति करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिती है।
- **स्वगि मॉडल और भवषियवाणी की चुनौतियिः**
 - एग्जटि पोल पछिले चुनाव के वोट शेयर अनुमानों के आधार पर **सीट आवंटन की भवषियवाणी करने के लयि स्वगि मॉडल** का उपयोग करते हैं।
 - हालाँकि, हरियाणा जैसे जटलि राजनीतिक माहौल में, जहाँ वभिन्न पार्टयि और गठबंधन शामिल हैं, ये स्वगि मॉडल अक्सर मतदाता व्यवहार में बदलाव अथवा गठबंधन में बदलाव को पकड़ने में वफिल रहते हैं।

भारत नरिवाचन आयोग

- **परचियः**
- **भारत का नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य नरिवाचन प्रक्रयिओं के प्रशासन के लयि ज़मिमेदार है।

- इसकी स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को (राष्ट्रीय मतदाता दल के रूप में मनाया जाता है) की गई थी। आयोग का सचवालय नई दिल्ली में है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये होने वाले नरिवाचनों का संचालन करता है।
 - इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के नरिवाचनों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिये भारत के संविधान में अलग सेराज्य नरिवाचन आयोग का प्रावधान है।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिये एक आयोग की स्थापना करता है।
 - **अनुच्छेद 324:** चुनावों का अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण नरिवाचन आयोग में नरिहित होगा।
 - **अनुच्छेद 325:** किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिये अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता।
 - **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिये चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
 - **अनुच्छेद 327:** विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
 - **अनुच्छेद 328:** किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिये चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
 - **अनुच्छेद 329:** चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध।
- **नरिवाचन आयोग की संरचना:**
 - मूलतः नरिवाचन आयोग में केवल एक नरिवाचन आयुक्त होता था, लेकिन नरिवाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया।
 - नरिवाचन आयोग में मुख्य नरिवाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) और अन्य नरिवाचन आयुक्तों की संख्या (यदि कोई हो) शामिल होगी, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नरिधारित करें।
 - वर्तमान में, इसमें मुख्य नरिवाचन आयुक्त और दो नरिवाचन आयुक्त (EC) शामिल हैं।
 - राज्य स्तर पर नरिवाचन आयोग को मुख्य नरिवाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
- **आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल:**
 - राष्ट्रपति, मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य नरिवाचन आयुक्त और अन्य नरिवाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार करते हैं।
 - उनका कार्यकाल नरिश्चित रूप से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्तों का वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होंगी।
- **हटाना:**
 - वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाए जा सकते हैं।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है, जबकि नरिवाचन आयुक्तों को केवल मुख्य नरिवाचन आयुक्त की सफारिश पर ही हटाया जा सकता है।